



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 13.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 अलग-अलग मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के माध्यम से आज दिनांक 13.09.2024 को 03 अलग-अलग मामलों में कुल 09 अभियुक्तों को दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 422/12 धारा 323/34 भादवि के 04 अभियुक्तों 1.जहूर, 2. सुबराती, 3. अल्लाफ पुत्रगण रहमत नोनिया मोहाल थाना कोतवाली नगर बांदा व 4. चुन्नू पुत्र असगर निवासी नोनिया मोहाल थाना कोतवाली नगर बांदा को 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास व 02-02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/07 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अभियुक्त राजभइया पुत्र झण्डू नि0 कस्बा व थाना जसपुरा जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना नरैनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 47/07 धारा 323/504 भादवि के 04 अभियुक्तों 1.छुट्टा पुत्र नत्थू, 2. तैय्यक पुत्र मजहर, 3. शेरु पुत्र बाकर खां व 4.खुशनूर पुत्र मिश्रीलाल नि0 कबौली थाना नरैनी को कुल 4000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।